

**विज्ञप्ति का प्रारूप**  
**कार्यालय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना**  
**ग्राम पंचायत ..... जनपद पंचायत ..... जिला अलीराजपुर**

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम NREGS के लिए ग्राम रोजगार सहायक (संविदा पद) पर दर्शाई गई शर्तों के आधार पर पूर्ति किए जाने हेतु योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किया जाता है जिसके सामान्य निर्देश निम्नानुसार हैं –

**1. सामान्य निर्देश :**

- अ. विज्ञापन में दर्शाये गये आवेदन पत्र के प्रारूप में ही आवेदक अपना आवेदन सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रेषित करें। अन्य किसी भी प्रारूप में आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- ब. लिफाफे पर स्पष्ट शब्दों में आवेदित पद का नाम, ग्राम पंचायत का नाम एवं भर्ती का प्रकार का उल्लेख करें।
- स. आवेदन पत्र पर अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन पत्र दिनांक 03/07/2023 से दिनांक 18/07/2023 को सायं 06:00 बजे तक कार्यालय जनपद पंचायत ..... में प्राप्त किये जायेंगे।

**2. अर्हताएं –**

**(अ) अनिवार्य अर्हताएं –**

1. म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) या म.प्र. शासन/केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड जैसे – संस्कृत बोर्ड, ओपन बोर्ड से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष, शैक्षणिक योग्यता।
2. नियुक्त किये जाने वाले कैलेण्डर वर्ष के एक जनवरी को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।
3. आवेदक स्थानीय निवासी होने की स्थिति में स्थानीय निवासी हेतु आवेदक का नाम उस ग्राम पंचायत की भारत निर्वाचन की मतदाता सूची में पंजीबद्ध होना अनिवार्य एवं पर्याप्त है। किसी ग्राम पंचायत में 03 से कम स्थानीय निवासी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किये जाने की स्थिति में अन्य ग्राम पंचायतों के स्थानीय निवासी के आवेदनों को भी विचार क्षेत्र में लिया जावेगा।
4. म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक/6597/ एनआरईजीएस-म.प्र. /एनआर-2/स्था./16 भोपाल दिनांक 22.07.2016 द्वारा जारी निर्देश के अधीन कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षण हेतु मैप आईटी द्वारा संचालित परीक्षा “ कम्प्यूटर प्रोफिसिंसी टेस्ट (CPCT) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

**(ब) वांछित योग्यताएं –**

- 1) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. सी/3-11/08/2/एक, भोपाल दिनांक 12.06.2009 में उल्लेखित निम्न संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण।
  1. Diploma from all Universities recognized by UGC.
  2. Diploma from all Open Universities recognized by UGC.
  3. Diploma level examination from DOEACC.  
(DOEACC is Affiliated/Accredited संस्थाओं के डिप्लोमा मान्य नहीं।)
  4. Modern office Management Course from Govt. Polytechnic College.
- 2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत एकाउन्टेन्सी कम्प्यूटर एप्लीकेशन, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर,, आर्किटेक्ट, असिस्टेंट में 06 माह कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त।
- 3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संविदा पद पर न्यूनतम 01 वित्तीय वर्ष का कार्य अनुभव अथवा सीआईडीसी से मेट प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी।
- 4) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा ग्रामीण इंजीनियर योजना में 110 कार्य दिवस का मेसन/प्लम्बर व्यवसाय में प्रशिक्षित या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) से ड्राफ्ट्समेन सर्वेयर का दो वर्षीय प्रशिक्षण।
- 5) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से बी.कॉम.परीक्षा उत्तीर्ण।

**3. चयन का मापदण्ड –**

अ. जब कम से कम तीन पात्र आवेदक स्थानीय पंचायत के हों :-

स.क्रं.	मापदण्ड	अधिकतम अंक
1	म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) में या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) या म.प्र. शासन/केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड में प्राप्त प्राप्तांको के प्रतिशत के बराबर अंक।	100
2	सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. सी/3-11/08/2/एक, भोपाल दिनांक 12.06.2009 में उल्लेखित निम्न संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण। <ol style="list-style-type: none"><li>1. Diploma from all Universities recognized by UGC.</li><li>2. Diploma from all Open Universities recognized by UGC.</li><li>3. Diploma level examination from DOEACC. (DOEACC is Affiliated/Accredited संस्थाओं के डिप्लोमा मान्य नहीं।)</li><li>4. Modern office Management Course from Govt. Polytechnic College.</li></ol> या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत एकाउन्टेन्सी कम्प्यूटर एप्लीकेशन, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर,, आर्किटेक्ट, असिस्टेंट में 06 माह कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त।	50

3	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संविदा पद पर न्यूनतम 01 वित्तीय वर्ष का कार्य अनुभव अथवा सीआईडीसी से मेट प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी ।	10
4	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा ग्रामीण इंजीनियर योजना में 110 कार्य दिवस का मेसन/प्लम्बर व्यवसाय में प्रशिक्षित या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) से ड्राफ्टसमेन सर्वेयर का दो वर्षीय प्रशिक्षण ।	10
5	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से बी.कॉम.परीक्षा उत्तीर्ण ।	30
<b>कुल योग –</b>		<b>200</b>

ब. जब तीन पात्र आवेदक स्थानीय पंचायत के निवासी न हों :-

स.क्रं.	मापदण्ड	अधिकतम अंक
1	म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) में या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) या म.प्र. शासन/केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड में प्राप्त प्राप्तांको के प्रतिशत के बराबर अंक ।	100
2	सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. सी/3-11/08/2/एक, भोपाल दिनांक 12.06.2009 में उल्लेखित निम्न संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण । 1. Diploma from all Universities recognized by UGC. 2. Diploma from all Open Universities recognized by UGC. 3. Diploma level examination from DOEACC. (DOEACC is Affiliated/Accredited संस्थाओं के डिप्लोमा मान्य नहीं ।) 4. Modern office Management Course from Govt. Polytechnic College. या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत एकाउन्टेन्सी कम्प्यूटर एप्लीकेशन, डाटा एन्ट्री ऑपररेटर,, आर्किटेक्ट, असिस्टेंट में 06 माह कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त ।	50
3	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संविदा पद पर न्यूनतम 01 वित्तीय वर्ष का कार्य अनुभव अथवा सीआईडीसी से मेट प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी ।	10
4	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा ग्रामीण इंजीनियर योजना में 110 कार्य दिवस का मेसन/प्लम्बर व्यवसाय में प्रशिक्षित या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) से ड्राफ्टसमेन सर्वेयर का दो वर्षीय प्रशिक्षण ।	10
5	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से बी.कॉम.परीक्षा उत्तीर्ण ।	30
6	ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी	25
<b>कुल योग –</b>		<b>225</b>

4. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम में चयन किया जावेगा –
1. अनुसूचित जनजाति महिला
  2. अनुसूचित जनजाति पुरुष
  3. अनुसूचित जाति महिला
  4. अनुसूचित जाति पुरुष
  5. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
  6. अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष
  7. सामान्य महिला
  8. सामान्य पुरुष
  9. इसके बाद भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी।

## 5. संविदा सेवा की अन्य शर्तें

1. ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत द्वारा चयनित अंशकालिक संविदा सहायक होंगे। राज्य शासन द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार के लाभ, सेवा शर्तें व अन्य सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी।
2. यह नियुक्ति संविदा पर कार्यक्रम विशेष के क्रियान्वयन के लिये की जायेगी। इस तरह कार्यक्रम क्रियान्वयन में उसकी आवश्यकता ही ग्राम रोजगार सहायक के सेवा में बने रहने का औचित्य प्रतिप्रादित करेगा।
3. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को स्थायीकरण हेतु कोई पात्रता नहीं है और वह भविष्य में नियमितीकरण/स्थायीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।
4. आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करेगा तथा कम्प्यूटर दक्षता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्य का अनुभव, मेट के रूप में अनुभव अथवा अन्य कोई विशिष्ट योग्यता रखता है तो उसकी स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करेगा, तथा इस आशय का शपथ पत्र भी संलग्न करेगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज सत्य व सही हैं। असत्य या अवैध प्रमाण पत्र पाये जाने पर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
5. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को कार्यक्रम अधिकारी जनपद तथा वरिष्ठ कार्यालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य भी सम्पादित करने होंगे।
6. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक बिना-किसी विशिष्ट कारण के बगैर सूचना के कर्तव्य से एक माह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
7. मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर ग्राम रोजगार सहायकों के संबंध में जारी आदेश/संशोधन इस नियुक्ति पर भी लागू/बंधनकारी होंगे।

8. संविदा के अन्तर्गत नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक नियुक्ति केवल विशिष्ट स्थान के लिये होगी। संविदा में नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक का संविदा अवधि में अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा।

9. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी को शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र संबंधी मूल अभिलेख एवं दो फोटो प्रस्तुत करना होंगा।

10. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी सक्षम अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना-अनिवार्य होगा।

11. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्त अधिकारी द्वारा की गई नियुक्ति बिना कोई कारण बताये रद्द कर दी जावेगी।

12. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को एक वर्ष में कुल 13 दिवस के आकरिमक अवकाश व एक वर्ष में कुल 15 दिवस के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। इसी प्रकार मातृत्व अवकाश हेतु महिला कर्मचारी को 90 दिवस के मातृत्व अवकाश एवं पुरुष कर्मचारी को 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी।

13. संविदा नियुक्ति आदेश दिनांक से 10 दिवस की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।

14. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को आधारभूत एवं जॉब से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर संविदा सेवा समाप्त की जावेगी।

15. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त पाये जाने पर नियुक्त प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

16. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/ निर्देश के कोई भी सूचना/ जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।

17. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित अवधि के पूर्व संस्था द्वारा बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेगी।

18. एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक की सेवाएं नियोजक / नियोक्ता के एक माह के पूर्व नोटिस के आधार पर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा/भुगतान कर समाप्त हो सकेगी।

19. संविदा नियुक्ति के आधार पर नियुक्त कोई भी उम्मीदवार संविदा कालावधि के लिये किन्हीं पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा तथा न ही उसे ऐसी कालावधि के लिये कोई बोनस आदि की पात्रता होगी।

पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत .....

जनपद पंचायत .....

सरपंच

ग्राम पंचायत .....

जनपद पंचायत .....